

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 27 जुलाई, 1990 ई०

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 27 जुलाई, 1990 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना

तिथि : 27 जुलाई, 1990 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा

सचिव

बिहार विधान-सभा

प्रति स्थापना आवश्यक शैय्या तथा अन्य उपस्कर की व्यवस्था अभी तक नहीं की जा सकी है, यदि हां तो उसमें विलंब का क्या औचित्य है?

3. डा० महेन्द्र चौधरी
महिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं फिजिसियन का पद रिक्त है, जिसे भरने की कार्रवाई की जा रही है।

‘पदाधिकारी पर कार्रवाई’

2494. श्री सुधीर महतो : क्या मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

श्री रघुनाथ झा :

1. क्या यह बात सही है कि विभागीय अपर निदेशक के पत्रांक-432(6) दिनांक-6.6.84 एवं 675(6) दिनांक-4.8.84 द्वारा श्रीमति इन्द्रासन देवी, पति श्री जटाशंकर पोद्दार, ग्राम-गोरा, जिला-बेगुसराय को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण हेतु ए०एन०एम० स्कूल, कटिहार में नामांकन हेतु सिविल सर्जन, कटिहार को आदेश दिया गया था, परन्तु अबतक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, यदि हां तो सरकार आदेश

1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
उक्त प्रसंगिक प्रतीक्षक सूची की एक साल की मान्य अवधितिथि 27.12.83 को समाप्त हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप निदेशालय के आदेश का पालन नहीं किया जा सका। मान्य अवधि समाप्त हो जाने के कारण किसी के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है।

की अवहेलना करनेवाले दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उक्त आदेश की शीघ्र अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति

2495. श्री शकुनी चौधरी : क्या श्री रघुनाथ झा :

मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 1976 में आयोजित अन्तर्वीक्षा, जिले राज्यादेश संख्या 433 (14) दिनांक 18.3.77 द्वारा 41 को चिकित्सक एवं 119 को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्र में नियुक्त किया गया था?

2. क्या यह बात सही है कि दिनांक 1.4.78 को 41 चिकित्सक को

1. स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश संख्या 403 (14) दिनांक 11.3.1977 द्वारा न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1976-77 में स्वीकृत 200 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में सृजित 200 बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर देशी चिकित्सकों (वैद्य एवं हकीम) की बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदनाम से स्थाई रूप से नियुक्ति का प्रावधान किया।

2. अन्तर्वीक्षा के क्रम में तैयार योग्यता अनुक्रम में से क्रमानुसार